न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०),

कानपुर-देहात।

UPRN010007232026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0-80/2026

श्रीमती अर्चना देवी बनाम सत्तो आदि

दिनांक-22.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। निरंतर निर्देशित किये जाने के उपरांत भी प्रार्थिनी/आवेदिका अनुपस्थित है।

प्रार्थिनी/आवेदिका द्वारा दिनांक 10.02.2026 को इस न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी थी। संबंधित थाने से आख्या प्राप्त हुई। पत्रावली सुनवाई हेतु नियत है किन्तु प्रार्थिनी/आवेदिका की ओर से विगत कई तिथियों में बहस नहीं की गयी। दिनांक 27.04.2026 व 13.05.2026 को प्रार्थिनी/आवेदिका को सुनवाई अंतिम अवसर दिया जा चुका है। आज दिनांक 22.06.2026 को प्रार्थिनी/आवेदिका मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है एवं उसकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थिनी/आवेदिका की अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उक्त वाद को चलाने का इच्छुक नहीं है। तद्नुसार प्रार्थिनी/आवेदिका का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/आवेदिका का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-22.06.2026

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर-देहात।